

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.2 (क) (ए-108) अलेसे- I / 7942-51

दिनांक:- 12/01/2015

आदेश संख्या: 134 / 2014-15

श्री अजय कुमार शर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-I कार्यालय- फैक्ट्री एवं बॉयलर्स, राजस्थान, जयपुर, जिनकी जन्मतिथि 01.10.1956 (लिंग नं.-6323) व राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 16.02.1981 है, उनके आवेदन पत्र दिनांक 06.01.2015 से, निजी कारणों से नोटिस अवधि में शिथिलता के साथ दिनांक 15.01.2015 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चाही गई है। अतः राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के नियम 50(3) (ख) के अन्तर्गत नोटिस अवधि में शिथिलता प्रदान करते हुए राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 50 (1) के अन्तर्गत श्री शर्मा की दिनांक 15.01.2015 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकृत की जाती है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री अजय कुमार शर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-I के विरुद्ध सीसीए नियमों के अन्तर्गत कोई विभागीय जांच लम्बित/प्रस्तावित नहीं है।

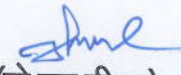

(भास्कर शर्मा)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.2 (क) (ए-108) अलेसे- I / 7942-51

दिनांक:- 12/01/2015

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य निरीक्षक, फैक्ट्री एवं बॉयलर्स, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. कोषाधिकारी, सचिवालय, जयपुर।
4. श्री अजय कुमार शर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-I कार्यालय- फैक्ट्री एवं बॉयलर्स, राजस्थान, जयपुर।
5. उपनिदेशक (ए.सी.पी) कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने एवं पीआईएस में ऐन्ट्री करने हेतु।
6. वरिष्ठ निजी सहायक निदेशक महोदय।
7. निजी पत्रावली/गार्ड फाइल/गोपनीय शाखा/पदस्थापन सीट।


(के.एम.मीणा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I)